शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 144 /अका./कार्यपरिषद/2023 जगदलपुर, दिनांक 20/02/2023

कार्यवृत्त
कार्यपरिषद की 45वीं बैठक
दिनांक 20.02.2023

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 45वीं बैठक दिनांक 20.02.2023 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव, कुलपति — पदेन अध्यक्ष
2. श्री लखेश्वर बघेल, माननीय विधायक — सदस्य
3. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, — सदस्य
4. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, — सदस्य
5. श्री धीरज नशीने, संभागीय संयुक्त संचालक, — सदस्य
6. डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, — सदस्य
7. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान — सदस्य
8. डॉ. शरद नेमा, प्राध्यापक — सदस्य
9. श्री अभिषेक कुमार बाजपेयी, कुलसचिव — पदेन सचिव

विषय क्रमांक–1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

कार्यपरिषद की 44वीं बैठक दिनांक 20.12.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णयः कार्यपरिषद की 44वीं बैठक दिनांक 20.12.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

कार्यपरिषद की 44वीं बैठक दिनांक 20.12.2022 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–3 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.01.2023 एवं 08.02.2023 में अनुसंशित वित्तीय वर्ष 2022–23 का संशोधित अनुपूरक बजट के अनुमोदन पर विचार।

स.क्रं.	मद का विवरण	अनुपूरक बजट हेतु अनुमानित व्यय राशि
1	परीक्षा परिणाम तैयार करने के कार्य (Result Processing Charge)	98.81
2	आनलाईन प्रवेश कार्य पर व्यय	34.31
3	गोल्ड मेडल/ दीक्षांत समारोह	60.00
4	कन्टीजेंसी एवं दैनिक मजदूरों का भुगतान	21.00
5	सुरक्षा गार्ड का भुगतान	15.00
6	फोटोकापी मशीन/ कम्प्यूटर/ प्रिंटर/सी.सी.टी.वी.केमरा/ए.सी./विद्युत उपकरण/सौर्य उर्जा सयंत्र का क्रय	124.00
7	नवीन बालक छात्रावास को सुविधा युक्त करने हेतु	100.00
8	कुलपति आवास हेतु सामग्री क्रय पर व्यय	3.50
9	अन्य आकस्मिक व्यय/NAAC व्यवस्था हेतु	4.48
10	उत्तर पुस्तिका मुद्रण कार्य	81.51
11	Proposal for Financial assistance to faculty members presenting their Research work at National and International Seminar(सेमिनार)/Conference(सम्मेलन)/Symposia(संगोष्ठि)	6.61
12	विज्ञापन मद से व्यय	5.28
	अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2022–23 का कुल योग	**581.95**

20 FEB 2023

निर्णयः सर्वसम्मति से प्रस्तावित अनुपूरक बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–4 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

वित्त समिति द्वारा अनुसंशित वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक बजट के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–5 (विश्वविद्यालय के भण्डार विभाग का प्रस्ताव)

आठ लाख मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं चार लाख पूरक उत्तरपुस्तिका के लिए मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर से 18% GST सहित राशि रू. 90,10480 =00 (नब्बे लाख, दस हजार, चार सौ अस्सी) लागत पर मुद्रण कराने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

विभागीय टीपः–

विश्वविद्यालय द्वारा CW Paper, 80 GSM , 9" X 11" Size में 8 लाख मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं 4 लाख पूरक उत्तरपुस्तिका मुद्रण हेतु संयुक्त संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को मुद्रणादेश क्रमांक/07/भण्डार/श.म.क.वि.वि. /2022–23, जगदलपुर, दिनांक 16/01/2023 जारी किया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं की लागत 18% GST सहित राशि रू. 90,10,480 =00 (नब्बे लाख, दस हजार, चार सौ अस्सी) है। अतः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः आठ लाख मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं चार लाख पूरक उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–6 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुंआकोंडा को वार्षिक परीक्षा 2022–23 के लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की सूचना प्रदान करने पर विचार।

विभागीय टीप :–

शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुंआकोंडा के पत्र क्रमांक/147/स्था./परीक्षा/2022 दिनांक 14.12.2022 के अनुसार वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारण करने संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के तारतम्य में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/1883/परीक्षा–गोपनीय/श.म.क.वि.वि./2023 दिनाक 01.02.2023 के द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–7 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

MICS भोपाल द्वारा प्राप्त 04 देयकों का GST सहित राशि रू. 82,51,745/– (ब्यासी लाख इनक्यावन हजार सात सौ पैंतालिस रूपये) भुगतान करने पर विचार।

2 0 FEB 2023

विभागीय टीप :–

फर्म MICS भोपाल को विश्वविद्यालय से जारी किये गये कार्यादेश क्रमांक 5994A/गोपनीय/श.म.क.वि.वि./2022 जगदलपुर दिनांक 06.07.2022 तथा कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर एवं MICS भोपाल के मध्य दिनांक 13.08.2021 के अनुबंधित दर एवं शर्तो के अनुरूप सत्र 2022–23 के परीक्षा/गोपनीय संबंधी कार्यो को संपादित करने के लिए कार्यपरिषद की 39 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण क्रमांक 392/अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 27.05.2022 के विषय क्रमांक 12 के निर्णयानुसार कार्यादेश जारी किया गया था। MICS भोपाल के द्वारा सत्र 2022–23 के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन, अंकसूची मुद्रण, प्रवेश पत्र अपलोडिंग, टेबुलेशन रजिस्टर, परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षा संबंधी कार्यो का सफलता पूर्वक समाप्ति पश्चात निम्नानुसार देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है :–

S.N.	Bill No.	Amount	ICGST@18%	Total Amount
1	Bill No. 452	730334	131460.12	861794.12
2	Bill No. 453	5858749	1054574.82	6913323.82
3	Bill No. 454	330117	59421.06	389538.06
4	Bill No. 455	73804	13284.72	87088.72
		69,93,004.00	**12,58,740.72**	**82,51,744.72**

उक्त देयकों का GST सहित राशि रू. 82,51,745/– (ब्यासी लाख इनक्यावन हजार सात सौ पैंतालिस रूपये) MICS भोपाल को भुगतान किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–8 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 को अद्यतन संशोधन सहित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत समस्त अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये अंगीकृत कर लागू करने एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदाय करने पर विचार।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर केविनियम–108 के भाग–9 के (3) में विश्वविद्यालय मे कार्यरत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय भत्ते उल्लेखित है जिसके परंतुक में उल्लेखित है कि उपरोक्त भत्ते के अतिरिक्त अन्य सुविधाएँ जो समय–समय पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी समिति होगी।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 29/2002 दिनांक 27.05.2002 (संलग्न) का अवलोकन करना चाहेंगे। उक्त वित्त निर्देश में निर्देश जारी किये गये है कि विभिन्न निगम/मंडल/उपकम/स्वायत्तशासी संस्थाएं इत्यादि अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे सुविधाओं के अनुरुप ही प्रदाय करें, तथा राज्य शासन की अनुमति के बिना कोई भी अतिरिक्त सुविधाएं न दें। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्त निर्देश के अनुसार इस विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के द्वारा चिकित्सा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के विकल्प का चयन किया गया है।

20 FEB 2023

अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 को अद्यतन संशोधन सहित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत समस्त अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये अंगीकृत कर भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदाय करने संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित न हो तथा निर्णय लेने में सुविधाजनक हो। साथ ही, कर्मचारियों को शासन के द्वारा निर्धारित नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार ही सुविधाएँ प्राप्त हो और किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो।

निर्णयः माननीय कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 को अद्यतन संशोधन सहित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत समस्त अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त कार्यपरिषद ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करने संबंधी पूर्व निर्णयों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

विषय क्रमांक–9 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत श्री राघवेन्द्र पटेल, सहायक प्राध्यापक (संविदा),कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला की संविदा सेवा अवधि का आगामी एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किये जाने पर विचार।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक/101/691/सा.प्रशा. /स्थापना/2023 जगदलपुर, दिनांक 31/01/2023 द्वारा श्री राघवेन्द्र पटेल, सहायक प्राध्यापक (संविदा), कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम–11(2) के प्रावधानों एवं संविदा नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन निम्नलिखित तालिका के कॉलम–(2) में उल्लेखित सहायक प्राध्यापक (संविदा) की संविदा सेवा अवधि कॉलम–(4) में उल्लेखित तिथि को समाप्त होने के पश्चात् कॉलम–(5) में उल्लेखित तिथि दिनांक 28.01.2023 से आगामी एक वर्ष तक के लिये अथवा जिस शैक्षणिक पद के विरूद्ध उनकी संविदा नियुक्ति की गई उस शैक्षणिक पद पर नियमित नियुक्ति होने की तिथि अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक पूर्व निर्धारित प्रतिमाह एकमुश्त संविदा वेतन पर नवीनीकरण किया गया है।

उक्त आदेश में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि संविदा नियुक्ति/नवीनीकरण पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित नियुक्ति अथवा संतोषजनक कार्य नहीं होने पर सेवा समाप्त कर दी जावेगी। यह संविदा नवीनीकरण कार्यपरिषद के आगामी बैठक में के लिये जाने वाले निर्णय के अधीन रहेगा। नवीनीकरण पूर्व में दी गई संविदा नियुक्ति के आदेश के बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 में उल्लेखित निर्देशों एवं छ.ग. सिविल सेवा (संविदा) नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन रहेगा। इसके आधार पर नियमितीकरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार श्री राघवेन्द्र पटेल, सहायक प्राध्यापक (संविदा), कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला की संविदा सेवा अवधि के नवीनीकरण के अनुमोदन संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

2 0 FEB 2023

विषय क्रमांक–10 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 02.09.2008 से प्रभावशील करने की छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त होने पश्चात् संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ के माध्यम से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु सहमति पत्र (LOC) प्रेषित करने के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना।

विभागीय टीप :–

अपर संचालक (वित्त) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 661/68/आउशि/विविअनु/2022 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.12.2022 अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थापित राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा जारी वित्त निर्देश 56/2012 दिनांक 01.08.2012 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू होगी। उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय में प्रचलित परिनियमों में संशोधन किया जाना होगा।

अवगत कराना है कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 11–9/2021/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.06.2022 के अनुसार छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्रमांक 637/208/2022/स्था./चार/नवा रायपुर दिनांक 15.06.2022 द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली दिनांक 02.09.2008 से प्रभावशील करने की अनुमति प्रदान किया गया है। उक्त अनुमति पत्र में लेख किया गया है कि शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना दिनांक 01.04.2012 के स्थान पर दिनांक 02.09.2008 से लागू माना जावे। इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए. सिस्टम में ''एरियर'' के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्टि आवश्यक होगी।

उक्त अनुमति अनुसार इस विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/0266/440/सा.प्रशा./स्थापना/2022, जगदलपुर, दिनांक 17.06.2022 द्वारा संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ को शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् नियुक्त एवं कार्यरत नियमित अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिये दिनांक 02.09.2008 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रविष्ठ कर तथा पी.एफ.आर.डी.ए. को अग्रेषित किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में सहमति पत्र (LOC) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

अपर संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन का पत्र क्रमांक/संकोले/सीपीएस/एफ–57/2022/2489 अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 06.07.2022 द्वारा कार्यपालिक संचालक, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, पटवारिया सराय नई दिल्ली को विश्वविद्यालय द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु सहमति पत्र (LOC) प्रेषित किया गया है।

श्री आशीष कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 30.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है। इस कार्यालय/संस्था का PFRDA एवं CRA में पंजीयन नहीं हुआ है, परंतु संस्था का PFRDA एवं CRA में पंजीयन आदि की प्रक्रिया तथा DDO No. and Name एवं PAO No. and Name के संबंध में PFRDA एवं CRA से जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है।

20 FEB 2023

अवगत होना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के ई–मेल के माध्यम से दिनांक 26.07.2022, 04.10.2022 एवं 05.11.2022 को इस विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में जानकारी प्रदाय करने के लिये अनुरोध किया जाता रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी से दूरभाष पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, परंतु आज दिनांक तक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा इस विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने के संबंध में कोई भी जानकारी प्रदाय नहीं किया गया है।

पुनः कार्यपालिक संचालक, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, पटवारिया सराय नई दिल्ली को इस विश्वविद्यालय से पत्र क्रमांक/0145/440/सा.प्रशा./स्थापना/2023, जगदलपुर, दिनांक 10.02.2023 प्रेषित कर अनुरोध किया गया है कि PFRDA एवं CRA में इस कार्यालय/संस्था का पंजीयन कर, DDO No. and Name एवं PAO No. and Name की जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करेंगे, ताकि इस कार्यालय/संस्था में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का PRAN जारी करने के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर PFRDA एवं CRA को प्रेषित की जा सके।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई तथा निर्णय लिया गया कि लंबित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा ली जाये।

विषय क्रमांक–11 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 में नियमित शिक्षकों के लिये उल्लेखित अवकाश संबंधी प्रावधानों को अद्यतन संशोधन सहित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत समस्त नियमित शिक्षकों के लिये अंगीकृत कर लागू करने पर विचार।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर केपरिनियम–31 के नियम–53 में उल्लेखित अवकाश के संबंध में प्रावधान वर्तमान परिदृश्य में विश्वविद्यालय मे कार्यरत नियमित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियोंके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 में नियमित शिक्षकों के लिये उल्लेखित अद्यतन संशोधित अवकाश संबंधी प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय मे कार्यरत नियमित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के संबंध में अवकाश संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही करने में कठिनाई होती है।

20 FEB 2023

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 29/2002 दिनांक 27.05.2002 (संलग्न) का अवलोकन करना चाहेंगे। उक्त वित्त निर्देश में निर्देश जारी किये गये है कि विभिन्न निगम/मंडल/उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाएं इत्यादि अपने कर्मचारियों को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे सुविधाओं के अनुरूप ही प्रदाय करें, तथा राज्य शासन की अनुमति के बिना कोई भी अतिरिक्त सुविधाएं न दें।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 में नियमित शिक्षकों के लिये उल्लेखित अवकाश संबंधी प्रावधानों को अद्यतन संशोधन सहित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत समस्त नियमित शिक्षकों के लिये लागू करने संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित न हो तथा निर्णय लेने में सुविधाजनक हो। साथ ही, कर्मचारियों को शासन के द्वारा निर्धारित नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार ही सुविधाएँ प्राप्त हो और किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो।

निर्णय: सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इसे विनियम के रूप में अधिसूचित किया जाये।

विषय क्रमांक–12 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत संविदा शिक्षकों को कर्तव्य अवकाश स्वीकृत करने पर विचार।

विभागीय टीप :–

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम–13 अनुसार संविदा पर नियोजित कर्मचारियों को एक वर्ष में केवल 18 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता है। उक्त नियम के अनुसार संविदा पर नियोजित कर्मचारियों को कर्त्तव्य अवकाशस्वीकृत करने संबंधी प्रावधान उक्त नियम एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचाारियों की नियुक्ति हतु न्यनूतम अहर्ताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 में नियमित शिक्षकों को निम्नलिखित प्रयोजन से कर्त्तव्य अवकाश प्रदान करने के संबंध में प्रावधान है :–

8.1 DUTY LEAVE:

i. Duty leave upto 30 days in an academic year may be granted for the following purposes:

(a) Attending Orientation Programme, Refresher Course, Research Methodology Workshop, Faculty

Induction Programme, Conference, Congresses, Symposia and Seminar, as a delegate nominated by the university or with the permission of the university/college ;

(b) Delivering lectures in institutions and universities at the invitation of such institutions or universities received by the university, and accepted by the Vice- Chancellor/Principal of the College;

20 FEB 2023

(c) Working in another Indian or foreign university, any other agency, institution or organisation, when so deputed by the university/College;

(d) Participating in a delegation or working on a committee appointed by the Central Government, State Government, the UGC, a sister university or any other similar academic body; and

(e) For performing any other duty assigned to him/her by the university/college.

ii. The duration of leave should be such as may be considered necessary by the sanctioning authority on each occasion.

iii. The leave may be granted on full pay, provided, that if the teacher receives a fellowship or honorarium or any other financial assistance beyond the amount needed for normal expenses, he/she may be sanctioned duty leave on reduced pay and allowances.

iv. Duty leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave, or Casual leave.

v. Duty leave should be given also for attending meetings in the UGC, DST, etc. where a teacher is invited to share his/her expertise with an academic body, government agency or NGO.

परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त विनियम में संविदा शिक्षकों को कर्त्तव्य अवकाश प्रदान करने के संबंध में प्रावधान नहीं है।

निर्णयः माननीय कार्यपरिषद ने संविदा सहायक प्राध्यापकों के विषय में निर्णय लिया कि यदि ऐसे शिक्षक जिन्हें विश्वविद्यालय सेमीनार/कान्फ्रेंस/वर्कशॉप अथवा अन्य आमंत्रित व्याख्यानों आदि के लिए नामित करता है, अथवा इनकी सहभागिता को मान्यता प्रदान करता है, तथा उक्त आशय की पूर्व अनुमति माननीय कुलपति जी से प्राप्त करता है, तो इस अवधि को विश्वविद्यालय के कार्य की मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया।

विषय क्रमांक–13 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से स्वीकृत वार्षिक वेतन वृद्धि की सूचना।

विभागीय :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक/159/115/सा.प्रशा./स्थापना/2023 जगदलपुर, दिनांक 11/02/2023 द्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम–2 अनुसार प्राध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुक्रम में दिनांक 1 जनवरी, 2023 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि कॉलम–5 एवं 6 अनुसार स्वीकृत किया गया है :–

2 0 FEB 2023

स.क्र.	प्राध्यापक/अधिकारी/कर्मचारीका नाम एवं पदनाम	दिनांक 01.01.2022 से स्वीकृत वेतन वृद्धि के अनुसार वेतनमान का लेवल एवं कोष्ठिका क्रमांक	कॉलम 3 के अनुसार वेतन	दिनांक 01.01.2023से वेतन वृद्धि दिये जाने पर वेतनमान का लेवल एवं कोष्टिका क्रमांक	कॉलम 5 के अनुसार वेतन	UGC/छ.ग. शासन वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ. शरद नेमा, प्राध्यापक (CAS)	14-Jul	172200	14-Aug	177400	UGCवेतनमान
2	श्री चुन्नी लाल टंडन, सहायक कुलसचिव	13-Jul	80300	13-Aug	82700	छ.ग. शासन वेतनमान
3	श्री देव चरण गावड़े, सहायक कुलसचिव	13-Jun	78000	13-Jul	80300	छ.ग. शासन वेतनमान
4	श्री विपिन कुमार गुप्ता, कक्ष अधिकारी	10-Jun	50100	10-Jul	51600	छ.ग. शासन वेतनमान
5	श्रीमती शहनाज बेगम, सहायक ग्रेड-1	07-Apr	31400	07-May	32300	छ.ग. शासन वेतनमान
6	श्री नोवेल किण्डो, सहायक ग्रेड-1	07-Apr	31400	07-May	32300	छ.ग. शासन वेतनमान
7	श्री थान सिंह, सहायक ग्रेड-1	07-Apr	31400	07-May	32300	छ.ग. शासन वेतनमान
8	श्री उदय किशोर पाण्डे, सहायक ग्रेड-1	07-Apr	31400	07-May	32300	छ.ग. शासन वेतनमान
9	श्री लखेश्वर बघेल सहायक ग्रेड-2	06-Feb	26100	06-Mar	26900	छ.ग. शासन वेतनमान
10	श्री शैलेन्द्र कुमार सहायक ग्रेड-2	06-Feb	26100	06-Mar	26900	छ.ग. शासन वेतनमान

इसी प्रकार, निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 अनुसार विश्वविद्यालय में नवपदस्थ अधिकारी द्वारा (छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-6/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.02.2022 अनुसार कक्ष अधिकारी से सहायक कुलसचिव के पद पर पदोन्नति उपरांत) इस विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने पश्चात् छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अनुसार दिये गये विकल्प के अनुसार तथा इस विश्वविद्यालय के वेतन नियतन पत्रक के अनुसार को दिनांक 1 जनवरी, 2023 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि कॉलम-5 एवं 6 अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है :-

स.क्र.	प्राध्यापक/अधिकारी/कर्मचारीका नाम एवं पदनाम	इस विश्वविद्यालय के वेतन नियतन पत्रक के अनुसार दिनांक 08.03.2022 को निर्धारित वेतन अनुसारवेतनमान का लेवल एवं कोष्ठिका क्रमांक	कॉलम 3 के अनुसार वेतन	दिनांक 01.01.2023 से वेतन वृद्धि दिये जाने पर वेतनमान का लेवल एवं कोष्टिका क्रमांक	कॉलम 5 के अनुसार वेतन	UGC/ छ.ग. शासन वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री केजूराम ठाकुर, सहायक कुलसचिव	13-Jan	67300	13-Feb	69300	छ.ग. शासन वेतनमान

निर्णयः कार्यपरिषद ने सूचना ग्रहण की।

2 0 FEB 2023

विषय क्रमांक–14 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

सातवां वेतनमान के वेतन एरियर्स माह 01.09.2017 से 31.01.2018 तक कुल पाँच माह का रूपये 524908/– (राशि पांच लाख चौबीस हजार नौ सौ आठ) मात्र के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

माननीय कार्यपरिषद को अवगत कराया जाता है कि छ.ग. शासन के वित्त निर्देश 29/2022 आदेश क्रं. 2135/F- 1002199/एल–11–2/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04.11.2022 के तहत निगम/मण्डल/आयोग एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के लिये आदेश जारी होने के पश्चात विश्वविद्यालयीन कर्मचारी संघ के मांग पर एवं स्थापना/प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के वेतन एरियर्स माह 01.09.2017 से 31.01.2018 तक कुल पाँच माह का रूपये 524908/– (राशि पांच लाख चौबीस हजार नौ सौ आठ) मात्र का भुगतान माननीय कुलपति एवं कुलसचिव महोदय के वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत किया गया है।

अतः माननीय कार्यपरिषद से अनुरोध है कि सातवें वेतनमान के पांचवे किश्त के बकाया एरियर्स राशि रू 524908/– (राशि पांच लाख चौबीस हजार नौ सौ आठ) मात्र के भुगतान कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना चाहेंगे।

निर्णयः कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–15

वर्ष 2023–24 से प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ शिक्षक एवं कर्मचारी को सम्मानित किये जाने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–16 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

आठ पी–एच–डी. शोधार्थियों का अधिसूचना जारी करने के पश्चात कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

विभागीय टीप :–

क्र.	शोधार्थी का नाम/ नमांकन क्रमांक	शोध निर्देशक का नाम	शोध प्रबंध का शीर्षक	विभाग/ विषय	संकाय	पी–एच.डी मौखिक परीक्षा तिथि	अधिसूचना जारी करने की तिथि
1	श्रीमती मधु जैन BVV/HIND14/1741	डॉ. योगेन्द्र मोतीवाला	आचार्य श्री विद्यासागर की रचनाओं में नारी चेतना एवं उनके अनुप्रयोग	हिन्दी	कला संकाय	23-12-2022	23-12-2022
2	श्रीमती आशा रानी पटनायक BVV/HIND14/1742	डॉ. आर.पी. टंडन	बस्तर के हल्बा भतरा जनजातियों के लोक– साहित्य का अनुशीलन	हिन्दी	कला संकाय	23-12-2022	23-12-2022
3	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव BVV/HIND14/1732	डॉ. योगेन्द्र मोतीवाला	बस्तर का जनजातिय साहित्य एवं लोकभाषा के साहित्यकारों का अध्ययन	हिन्दी	कला संकाय	23-12-2022	23-12-2022
4	श्री शिव कुमार सिंघल BVV/ECON19/1748	डॉ. एल. आर. सिन्हा	हस्तशिल्प योजनाओं का जनजातियों के आर्थिक विकास पर प्रभाव (बस्तर संभाग के विषेश संदर्भ में)	अर्थशास्त्र	समाजिक विज्ञान संकाय	14-01-2023	18-01-2023
5	श्रीमती श्रद्धा कोरे पवार BVV/HIND14/1733	डॉ. आर.पी. टंडन	ओमप्रकास बाल्मीकी के साहित्य में दलित चेतनाः एक अध्ययन	हिन्दी	कला संकाय	20-01-2023	20-01-2023
6	श्रीमती करूणा देवांगन BVV/HIST14/1744	डॉ. चेतन राम पटेल	मराठाकालीन बस्तर रियासत का ऐतिहासिक अध्ययन (1978 से 1954 ई.)	इतिहास	समाजिक विज्ञान संकाय	23-01-2023	23-01-2023
7	श्रीमती पुष्पा खिलाड़ी BVV/HIST14/1719	डॉ. चेतन राम पटेल	उत्तर बस्तर की गोड़ जनजाति का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक अध्ययन (1947 से 1998)	इतिहास	समाजिक विज्ञान संकाय	23-01-2023	23-01-2023
8	श्री रविशंकर गुप्ता BVV/ECON19/1747	डॉ. एल. आर. सिन्हा	ग्रामीणों के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की भूमिका (दंतेवाड़ा जिले के विशेष सदर्भ में)	अर्थशास्त्र	समाजिक विज्ञान संकाय	23-01-2023	23-01-2023

20 FEB 2023

निर्णयः सभी आठ शोधार्थियों को पी–एच.डी. उपाधि उनके मौखिक परीक्षा की तिथि से प्रदान करने का कार्योत्तर निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक–17 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

माननीय कार्यपरिषद ने गुरू घासीदास (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के संयुक्त तत्वाधान में "भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के मध्य बहुआयामी एवं सांस्कृतिक सम्पर्क" विषय पर फरवरी 10–12, 2023 को तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु राशि रू. 8.00 लाख स्वीकृत किया गया था। शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कुलपति ने गुरू घासीदास (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति से वार्ता कर संगोष्ठी में प्रयोग होने वाली राशि को 4.00 लाख तक सीमित किया तथा भुगतान किया जा चुका है। उपरोक्त संगोष्ठी में बस्तर क्षेत्र के जनजाति, संस्कृति, कला, पाराम्परिक नृत्य, परम्पराएँ, सांस्कृतिक विरासत तथा जनजाति चिकित्सा पद्धति पर शोध आदि पर वृहद चर्चा हुई तथा शोध उपलब्धियों को साक्षा किया गया। इस संगोष्ठी से शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को अन्तराष्ट्रीय पहचान मिली है। माननीय कार्यपरिषद को राशि रू. 8.00 लाख के स्थान पर राशि रू. 4.00 लाख का पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–18 (विश्वविद्यालय के विकास विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 02.02.2023 को आयोजित भवन समिति की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए जाने वाले निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–19 (विश्वविद्यालय के भण्डार विभाग का प्रस्ताव)

RUSA (राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान) बजट अंतर्गत विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न सामग्रियां (फर्नीचर्स, सूचना प्रौद्योगिकी सामग्रियां, प्रायोगिक उपकरण – कैमिकल, इत्यादि) की क्रय प्रक्रिया CSIDC/E-manak, GeM, Tender से करने की सूचना एवं कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

विभागीय टीप :–

RUSA (राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान) बजट अंतर्गत विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न सामग्रियां (फर्नीचर्स, सूचना प्रौद्योगिकी सामग्रियां, प्रायोगिक उपकरण–कैमिकल, संगीत सामग्रियां इत्यादि) की क्रय प्रक्रिया छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022)/विश्वविद्यालय विनियम 108 के क्रय प्रक्रिया का पालन करते हुये समग्र रूप से उपलब्धता के आधार पर CSIDC/ E-manak, GeM, Tender से क्रय किया जा रहा है। अतः माननीय कार्यपरिषद को सूचनार्थ एवं कार्योत्तर अनुमति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

20 FEB 2023

विषय क्रमांक–20 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में अनुबंधित सुरक्षा एजेंसी की कार्यावधि में दिनांक 31.03.2023 अथवा जारी की गई निविदा में चयनित सुरक्षा एजेंसी को कार्यादेश जारी करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक वृद्धि करने की सूचना।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कार्यादेश क्रमांक/64/भण्डार/ श.म. क.वि.वि./2022–23 जगदलपुर, दिनांक 06.02.2023 के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंधित सुरक्षा एजेंसी बस्तर सिक्युरिटी गार्ड इंटेलिजेंट सर्विस, महारानी अस्पताल रोड, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) को दिनांक 31.03.2023 तक अथवा निविदा प्रक्रिया में कार्यादेश जारी होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) के लिये समय वृद्धि की गई है।

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक/34/भण्डार/नि.सू./2023/जगदलपुर, दिनांक 27.01.2023 के अनुसार के इस विश्वविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा जारी किया गया है।

निर्णयः कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की।

विषय क्रमांक–21 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

सत्र 2021– 22 का वार्षिक प्रतिवेदन का मुद्रण कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

विभागीय टीप :–

अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के संलग्न पत्र क्रमांक/1375/1090/2022/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.12.2022 के निर्देशानुसार विधान सभा के पटल पर (शीतकालीन सत्र दिसम्बर 2022) में रखे जाने हेतु शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021– 22 (150 बुक) एवं 75 नग सी.डी. विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/1121/अका./वार्षिक प्रतिवेदन/2022 जगदलपुर, दिनांक 29.12.2022 के द्वारा अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–22 (विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कन्या छात्रावास वर्ष 2022 से संचालित है। वर्तमान में छात्रावास में लगभग 65 छात्राएँ प्रवेशित/निवास कर रही है। वर्तमान व्यवस्था छात्राओं के अन्तर्गत छात्रों के भोजन व्यवस्था के लिए छात्राओं के द्वारा स्वसंचालित मेस का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों से छात्राओं के द्वारा अनेक बार आग्रह किया है कि खाना बनाने वाले 02 रसोईयों का वित्तीय भार विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए।

अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष दिनांक 09.11.2022 से कन्या छात्रावास में कार्य कर रहे दो रसोईयों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 6,000/– की दर से छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय में जमा शुल्क की धनराशि से स्वीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णयः उपस्थित सदस्यों द्वारा छात्रावास के संचालन हेतु निर्णय लिया गया कि (i) सेटअप स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय तथा (ii) अन्य आकस्मिक मद से 02 रसोईयों के अल्प अवधि के लिए मजदूरी के आधार पर पूर्ववर्ती प्रभाव से पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जावे तथा आवश्यकतानुसार छात्रावास में निवासरत छात्राओं को यह सविधा सेटअप स्वीकृत एवं प्रभावी होने तक प्रदान की जाये।

2 0 FEB 2023

विषय क्रमांक–23 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के समस्त विभागाध्यक्षों को स्वीकृत अग्रदाय की राशि में से प्रत्येक दिन व्यय हेतु रू 1500/– (राशि एक हजार पाँच सौ) की सीमा निर्धारित करने बाबत।

विश्वविद्यालय के माननीय कार्यपरिषद की 43वीं बैठक दिनांक 03.11.2022 में निम्नलिखित विभागाध्यक्षों को निम्नानुसार अग्रदाय राशि की स्वीकृति प्रदाय की गई है :–

	शाखा का नाम	अग्रदाय राशि
1	कुलपति कार्यालय	15000/–
2	कुलसचिव कार्यालय	10000/–
3	भंडार शाखा	15000/–
4	स्थापना शाखा	10000/–
5	प्रशासन शाखा	10000/–
6	वित्त विभाग	10000/–
7	गोपनीय शाखा	10000/–
8	परीक्षा शाखा	10000/–
9	वाहन शाखा	10000/–
10	अकादमिक/विकास शाखा	10000/–
11	प्रत्येक अध्ययनशाला विभागाध्यक्ष	5000/–

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों एवं अध्ययनशालाओं के विभागाध्यक्षों को स्वीकृत अग्रदाय की राशि में से प्रत्येक दिवस व्यय हेतु रू 1500/– की सीमा निर्धारित की जाती है। विषम परिस्थिति में रू 1500/– से अधिक का भण्डार क्रय करने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत क्रय किया जा सकता है। साथ ही भंडार क्रय नियम का पालन भी आवश्यक होगा एवं प्रस्तुत देयक वैध तथा GST अथवा PAN NO. से समर्थित होना चाहिए।

निर्णयः उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही कार्यपरिषद के संज्ञान में लाया गया कि अग्रदाय राशि को स्वीकृत करने के पश्चात किये गये व्यय का लम्बे समय समयोजन नहीं कराया जाता है। यह वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है। अतः निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों को दिये गये अग्रदाय एवं अग्रिम राशि का समायोजन यथाशीघ्र करने हेतु संबंधितों को पुनः पत्र प्रेषित किया जाये। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर अग्रिम राशि का समयोजन नहीं करते हैं तो संबंधितों के मासिक वेतन से नियमानुसार कटौती कर समायोजन किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक – 1

विश्वविद्यालय में सत्रह (17) नये विभाग एवं पच्चीस (25) नये स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर विचार।

विभागीय टीप :–

वर्तमान में विश्वविद्यालय में 10 विभाग संचालित है तथा माननीय कुलपति महोदय जी द्वारा सभी विभागों तथा अन्य विश्वविद्यालयों के संरचना को देखते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में मौलिक विभाग तथा न्यूनतम संरचना के रूप में निम्नवत नये विभाग एवं नये स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए :–

20 FEB 2023

1.साईंस फैकेल्टी

1. फिजिक्स विभाग–बी.एस–सी. एवं एम.एस–सी.
2. केमेस्ट्री विभाग–बी.एस–सी. एवं एम.एस–सी.
3. गणित विभाग–बी.एस–सी. एवं एम.एस–सी.
4. जियोलॉजी विभाग–बी.एस–सी. एवं एम.एस–सी.

2. लाईफ साईंस फैकेल्टी

1. जूलॉजी विभाग–बी.एस–सी. एवं एम.एस–सी.
2. बॉटनी विभाग–बी.एस–सी. एवं एम.एस–सी.
3. माईक्रोबायोलॉजी विभाग–बी.एस–सी. एवं एम.एस–सी.

3. कला संकाय

1. समाजशास्त्र विभाग–बी.ए. एवं एम.ए.
2. भूगोल विभाग–बी.ए. एवं एम.ए.
3. अर्थशास्त्र विभाग–बी.ए. एवं एम.ए.
4. इतिहास विभाग–बी.ए. एवं एम.ए.

4. भाषा संकाय

1. हिन्दी विभाग– बी.ए. एवं एम.ए.

5. वाणिज्य संकाय

1. वाणिज्य विभाग–बी.कॉम. एवं एम.कॉम.

6. विधि संकाय

1. विधि विभाग–एल–एल.बी. एवं एल–एल.एम.

7. शारीरिक शिक्षा विभाग

बी..पी.एड. एवं एम.पी.एड.

8. लाईब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साईंस विभाग

1. बी.लिब. एण्ड इन्फार्मेशन साईंस
2. एम.लिब. एण्ड इन्फार्मेशन साईंस

9. फार्मेसी विभाग

डी.फार्मा, बी.फार्मा., एम. फार्मा.,

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिनांक 25.01.2023 को जगदलपुर प्रवास के समय मिलकर नये विभाग खोले जाने के स्वीकृति प्रदान करने के आग्रह के साथ प्रेषित किया जा चुका है।

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त नवीन विभागों एवं पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सेटअप एवं अन्य प्रस्ताव स्वीकृति हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाये।

विषय क्रमांक– 2

विश्वविद्यालय में नवीन कैम्पस के विस्तार हेतु राज्य शासन/जिला प्रशासन को 200 एकड़ के भूमि प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने पर विचार।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। स्थापना के समय विश्वविद्यालय को धरमपुरा कैम्पस में 15 एकड़ भूमि बस्तर जिला प्रशासन द्वारा आबंटित की गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2017 में बस्तर जिला प्रशासन ने धरमपुरा नवीन परिसर में 25 एकड़ भूमि आबंटित की। नवीन आबंटित भूमि पर रूसा अनुदान से तीन अध्ययनशाला भवन (बी.एड, एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. भवन) का निर्माण वर्ष 2021 में कराया गया है।

विश्वविद्यालय में अकादमिक उन्नयन के लिए 17 विभाग एवं 25 पाठ्यक्रमों को खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए विश्वविद्यालय को 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

20 FEB 2023

उपरोक्त आग्रह माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन के जगदलपुर प्रवास दिनांक 25.01.2023 को माननीय कुलपति महोदय द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेंट कर विश्वविद्यालय को अतिरिक्त 200 एकड़ भूमि प्रदान किये जाने का आग्रह किया जा चुका है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय में नवीन कैम्पस के विस्तार हेतु राज्य शासन/जिला प्रशासन को 200 एकड़ के भूमि प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए विश्वविद्यालय में नवीन कैम्पस के विस्तार हेतु राज्य शासन/जिला प्रशासन को 200 एकड़ के भूमि प्रदान करने प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।

विषय क्रमांक– 3

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक के रिक्त पदों की भर्ती पर शासन के द्वारा अनुमति लंबित रहने की स्थिति से अवगत कराये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के सेटअप के द्वारा कुल 65 शैक्षणिक एवं 155 अशैक्षणिक पद स्वीकृत किये गये थे। जिनके सापेक्ष कुल 06 शैक्षणिक तथा 29 अशैक्षणिक पदों पर नियुक्तियॉ की जा चुकी है। परन्तु क्रमशः 59 शैक्षणिक एवं 126 अशैक्षणिक पद वर्तमान में रिक्त है। पदों की भर्ती न होने के कारण विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के द्वारा 12(बी) प्रमाण–पत्र नहीं प्रदान किया गया है तथा जून माह वर्ष 2022 में सम्पन्न हुए नैक के मूल्यांकन में "सी" ग्रेड प्राप्त हुआ है।

अतः विश्वविद्यालय की नैक की ग्रेडिंग सुधारने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बस्तर अंचल में प्रदान किये जाने हेतु रिक्त पदों पर भर्ती किये जानी की अत्यंत आवश्यकता है। विश्वविद्यालय ने छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग में दिनांक 08.06.2022 तथा दिनांक 24.01.2023 के पत्रों के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती के किये जाने हेतु आग्रह किया है तथा अभी अनुमति अप्राप्त है।

उपरोक्त के संबंध में छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग से रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने संबंधी पुनः आग्रह करने की आवश्यकता है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रगति से कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में प्रस्तुत है।

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग से पत्राचार किया जाये।

विषय क्रमांक– 4

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में ऑनलाईन पंजीयन एवं प्रवेश आवेदन संबंधी एम.आई.सी.एस. भोपाल के देयक राशि रू. 5,48,098/– भुगतान करने की स्वीकृति पर विचार।

विभागीय टीप :–

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अन्तर्गत विभिन्न अध्ययनशालाओं में संचालित स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तथा समस्त स्नातकोत्तर (एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. को छोड़कर), स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 16.06.2022 से प्रारंभ की गयी है। तत्पश्चात् समय–समय पर प्रवेश की तिथि में छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की गई। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर तथा एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पृथक–पृथक तिथि का निर्धारण किया गया और समय–समय पर प्रवेश की तिथि में वृद्धि की गई।

2 0 FEB 2023

अनुबंधित फर्म एम.आई.सी.एस. भोपाल द्वारा दिनांक 01.08.2022 से 31.01.2023 तक विश्वविद्यालय के पोर्टल में सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन करने संबंधी कार्य गुणवत्ता के साथ सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया है। उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के पोर्टल में 10,322 छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन पंजीयन के संबंध में संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक क्रमांक 454 दिनांक 07.02.2023 अनुसार प्रति पंजीयन रूपये **45/-**की दर से राशि रूपये **4,64,490/-** सहित **ICGST @ 18%** राशि रूपये **83,608.20/-** कुल राशि रूपये **5,48,098.20/-** अर्थात कुल राशि रूपये **5,48,098/-** (पॉच लाख अड़तालीस हजार अन्ठानबे रूपये) भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

पूर्व में दिनांक 16.06.2022 से 31.07.2022 तक प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में 70,879 छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन तथा ओ.टी.पी./सूचना संबंधित एस.एम.एस. के संबंध में संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि का भुगतान आवश्यक किया जा चुका है।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक– 5

स्थानीय महाविद्यालयों में प्रायोगिक/मौखिकी एवं परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिये नियुक्त स्थानीय महाविद्यालयों के बाह्य परीक्षकों/पर्यवेक्षकों को स्थानीय भत्ता के रूप में राशि रूपये 300/– का भुगतान की भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

विभागीय टीप :–

कार्यपरिषद की 10वीं बैठक दिनांक 12.06.2013 के निर्णय अनुसार पी–एचडी./स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गुणवत्ता लाने विषय विशेषज्ञों से परामर्श एवं विश्वविद्यालय के अन्य बैठकों के लिये स्थानीय भत्ता के रूप में राशि रूपये 300/– का प्रावधान किया गया है। इसी अनुक्रम में स्थानीय महाविद्यालयों में प्रायोगिक/मौखिकी एवं परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिये नियुक्त स्थानीय महाविद्यालयों के बाह्य परीक्षकों/पर्यवेक्षकों को स्थानीय भत्ता के रूप में राशि रूपये 300/– का भुगतान किया जा रहा है।

अतः स्थानीय महाविद्यालयों में प्रायोगिक/मौखिकी एवं परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिये नियुक्त स्थानीय महाविद्यालयों के बाह्य परीक्षकों/पर्यवेक्षकों को स्थानीय भत्ता के रूप में राशि रूपये 300/– का भुगतान किये जाने की स्वीकृति तथा पूर्व में किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः माननीय कार्यपरिषद ने प्रस्तावित दर को स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में किये गये भुगतान को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

विषय क्रमांक– 6

विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद, विद्यापरिषद एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठक भविष्य में ऑफलाईन के साथ–साथ ऑनलाईन माध्यम से आयोजित करने के लिए विडियों कॉन्फ्रेसिंग यूनिट/सेटअप क्रय एवं इन्सटॉल करने पर विचार।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद, विद्यापरिषद एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठक भविष्य में ऑफलाईन के साथ–साथ ऑनलाईन माध्यम से आयोजित करने के लिए उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले वीडियो कॉन्फ्रेसिंग यूनिट/सेटअप क्रय कर इस्टॉल किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु विश्वविद्यालय मद से क्रय किये जाने हेतु राशि रू. 10.00 लाख प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

20 FEB 2023

विषय क्रमांक– 7

संविदा सहायक प्राध्यापकों को कर्तव्य अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययनशाला में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापक डॉ. निलेश कुमार तिवारी द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची, झारखंड में दिनांक 27.12.2022 से 29.12.2022 तक आयोजित Annual Conference of the Indian Economic Association में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 26.12.2022 से 30.12.2022 तक कुल 05 दिवस तथा गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर में यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित CSBC MODULE ROLL OUT WORKSHOP में गेस्ट स्पीकर/मेंटर के रूप में दिनांक 09.01.2023 से 11.01.2023 तक कुल 03 दिवस सहभागिता के लिए कर्तव्य अवकाश स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

माननीय कुलपति द्वारा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 26.12.2022 से 30.12.2022 तथा दिनांक 09.01.2023 से 11.01.2023 तक कुल 08 दिवस कर्तव्य अवकाश स्वीकृत किया गया है।

इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययनशाला में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापक डॉ. अनुरोध बनोदे द्वारा डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरगांबाद (महाराष्ट्र) में दिनांक 21.12.2022 से 26.12.2022 तक आयोजित Digital India : Challenges and Opportunities में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए कुल 05 दिवस सहभागिता के लिए कर्तव्य अवकाश स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

माननीय कुलपति द्वारा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 21.12.2022 से 26.12.2022 तक में से दिनांक 21.12.2022 से 23.12.2022 तक 03 दिवस कर्तव्य अवकाश तथा दिनांक 24.12.2022 से 26.12.2022 तक 03 दिवस शीतकालीन अवकाश में समायोजित करते हुए स्वीकृत किया गया है।

निर्णयः माननीय कार्यपरिषद ने संविदा सहायक प्राध्यापकों के विषय में निर्णय लिया कि यदि ऐसे शिक्षक जिन्हें विश्वविद्यालय सेमीनार/कान्फ्रेंस/वर्कशॉप अथवा अन्य आमंत्रित व्याख्यानों आदि के लिए नामित करता है, अथवा इनकी सहभागिता को मान्यता प्रदान करता है, तथा उक्त आशय की पूर्व अनुमति माननीय कुलपति जी से प्राप्त करता है, तो इस अवधि को विश्वविद्यालय के कार्य की मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया।

Manoj K. Srivastava

कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

20 FEB 2023